न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः–   रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 47/2017   दायरा दिनांक :–26.07.2018   निर्णय दिनांक :– 03.03.2021

1. रोहिताश
2. रामनिवास
3. अजीत सिंह पुत्रान ख्याली
4. हजारीलाल
5. लालचन्द पुत्रान महादेवा
6. रतिराम
7. लहरीराम पुत्रान हरलाल समस्त जाति जाटान निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योराम
2. जगराम पुत्रान बुधा जाति जाटान निवासीयान सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज., राजस्व अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

दिनांक :– 03.03.2021

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा किः– हाल आराजी ख0 न0 5 रकबा 1.67, 6 रकबा 0.90 है0 वाके जंगल मौजा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त आराजी है जिसके प्रार्थीगण 1/3 भाग के खातेदार दर्ज है लेकिन बहामी विभाजन में आराजी प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से ही आयी हु[illegible] हाल ख0न0 9 रकबा 1.31 है0 अप्रार्थी के कब्जेकाश्त खातेदारी की है जो गैर मुमकिन रास्ता [illegible] 14 वाके ग्राम सोडावास से लगता हुआ स्थित है एवम ख0 न0 9 [illegible] हुई प्रार्थीगण [illegible] आराजी ख0न0 5 व 6 है, प्रार्थीगण की आराजी की डोल एवम अप्रार्थीगण के ख0न0 9 की डोल सामलाती है जो प्रार्थीगण की पूर्वी डोल से लगती हुई है। प्रार्थीगण की आराजी में गैर मु[illegible]न चाह व प्रार्थी के बने मकानों तक जाने के लिए दीगर जगह से या वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी की आराजी में से अपनी आराजी तक आता जाता रहा है परंतु फसल बुवाई के वक्त रास्ता बंद हो जाता है, केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

पगडंडी रह जाती है। फसल के समय वाहनों का आवागमन बंद हो जाने से प्रार्थी को परेशानी होती है। मिन प्रार्थीगण अप्रार्थी से रास्ता के बाबत रकम देने व रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की बात भी कर चुके है। सडक आम से प्रार्थी की आराजी तक अप्रार्थी की आराजी में से करीब 385 फुट लंबाई है एवम 10 फुट चौडाई में रास्ता बाबत प्रार्थीगण अनुतोष चाहते है एवम प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को भूमि देने या बाजार मूल्य की दो गुनी राशि देने को तैयार है। अप्रार्थी चाहे तो प्रार्थी से अपनी आराजी से लगती भूमि ले सकता है। अप्रार्थीगण की आराजी की पूर्वी डोल के साथ–साथ रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रार्थी अनुतोष चाहता है व प्रार्थी के पास और कोई नजदीकी रास्ता नहीं है का निवेदन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ख0न0 9 वाके ग्राम जंगल मौजा में से दक्षिणी डोल के साथ–साथ पूर्व–पश्चिम लंबाई 385 फुट चौडाई 10 फुट के बदले की एवज में भूमि या बाजार मूल्य के दोगुनी राशि की एवज में रास्ता दिलाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने हाजिर अदालत आकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के जिमनो को अस्वीकार करते हुये अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब का सारतः रहा कि इतना स्वीकार है कि आराजी ख0न0 9 अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होकर ग्राम सोडावास मे स्थित है लेकिन प्रार्थीगण ने कभी भी मिन अप्रार्थीगण की आराजी में से आवागमन नहीं किया और ना ही कोई रास्ता स्थित है जब रास्ता मिन अप्रार्थीगण की आराजी में से है ही नहीं तो रास्ते को फसल बुवाई के बाद बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। प्रार्थीगण की आराजी में स्थित मकानों तक आने–जाने का दीगर रास्ता है जो काफी पुराना है जिससे ही प्रार्थीगण आते–जाते है। प्रार्थीगण अब जबरन मिन अप्रार्थीगण की आराजी में से नया रास्ता कायम कराना चाहते है जिनको इस प्रकार का कोई हक अधिकार हासिल नहीं होता है। प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थीगण से कभी भी रास्ते के बदले पैसे देने या भमि ही देने की बात नहीं हुई क्योंकि प्रार्थीगण दीगर रास्ते से आवागमन काफी समय से कर रहे है जो सुविधा को देखते हुए सही है। इस प्रकार प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की आराजी में से कोई रास्ता कायम कराने के अधिकारी नहीं है। आदि–आदि का निवेदन करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर जरिये पत्रांक 423 दिनां 16.05.18 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है जिसके अनुसार ख0न0 5,6 व 9 का नजरी नक्शा तैयार करते हुए वादी/प्रार्थी रोहिताश वगै0 [illegible] वादीगणों की खातेदारी में दर्ज है व प्रतिवादी श्योराम, जगराम पुत्रान बुधा जाट के [illegible] में से मुताबिक नजरी नक्शा के धारा 251 क के अंतर्गत 385 फुट [illegible] चाहते है जो नियमानुसार दिया जाना उचित है का अंकन कर पेश होकर शामिल [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। [illegible] बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्रों के जिमनो को दोहराते हुये सडक आम से प्रार्थीगण की आराजी तक अप्रार्थीगण की आराजी में से उक्तानुसार रास्ता दिलाये जाने बाबत निवेदन करते हुये अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

को उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के रकबे के बराबर की एवज में अप्रार्थीगण को भूमि देने या बाजार मूल्य की दोगुनी राशि देने को तैयार होने का अभिकथन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के ख0न0 9 रकबा 1.31 है0 वाके ग्राम जंगल मौजा में से दक्षिणी डोल के साथ–साथ पूर्व पश्चिम लंबाई 385 फुट चौडाई 10 फुट का रास्ता एवम रास्ते की कुल भूमि के बदले एवज में भूमि या बाजार मूल्य के दोगुनी राशि की एवज में रास्ता दिलाये जाने का अभिकथन किया। ठीक इसी अनुसार वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिमनो को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में ख0न0 5 में आने हेतु ख0न0 9 में से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया है जबकि ख0न0 18 की जमीन भी आती है व ख0न0 18 भी आना चाहिए एवम मौका रिपोर्ट तहसीलदार में किसी भी प्रकार का दिशा के बाबत अंकन नहीं होकर सही नहीं है जो शामिल पत्रावली है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत उपरोक्तानुसार दिलाये जाने रास्ता खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी श्रीमान न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं ने अंकित किया है कि मुझ अप्रार्थीगण को रास्ते में आने वाली भूमि की एवज में भूमि देने को तैयार है या बाजार मूल्य की दोगुनी राशि देने को तैयार है एवं ठीक इसी प्रकार वकील प्रार्थी ने भी अपनी बहस में अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण को भूमि देने या दोगुनी राशि देने को प्रार्थीगण तैयार है। चूंकि अप्रार्थीगण के पास परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि की उपज ही एकमात्र साधन है और कोई जरिया नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी खेती की जमींन के रकबे को कम नहीं करने को ध्यान में रखते हुये श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि मुझ अप्रार्थीगण की भूमि जो आम सडक से लगती हुई है तथा प्रार्थीगण ने भी अपने प्रार्थना पत्र के जिमन नंबर 6 की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट अंकित किया है। ऐसी स्थिति में मुझ अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के आराजी ख0न0 83 में से जो वाके ग्राम सोडावास में ही आम सडक पर स्थित होकर उनके कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है में से रास्ते के बदले रास्ते की एवज में आने वाली भूमि दिलाये जाने की स्थिति में हम अप्रार्थीगण उपरोक्तानुसार रास्ता के बाबत भूमि देने को तैयार है जिस हेतु मुझ अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्तानुसार अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के बाबत सूची दस्तावेजात के साथ प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवम नकल जमाबंदी पूर्व में प्रेषित की गई है जो प्रार्थीगण की स्वयं की होकर शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वी[illegible] में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवम वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर [illegible] अलवर में स्थित अनावेदकगण की भूमि ख0न0 9 रकबा 1.31 है0 में से दक्षिणी डोल के साथ साथ पूर्व पश्चिम भूमि की लंबाई 385 फुट एवम चौडाई 10 फुट के समानुपाती में प्रार्थीगण को अ[illegible] खातेदारी की भूमि ख0न0 5 व 6 में जाने हेतु रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते की भूमि

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

राजस्व रिकॉर्ड में " गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में दर्ज की जावे एवम उक्त भूमि के बदले प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 5 में से उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली आराजी के क्षेत्रफल के बराबर का रकबा खसरा नंबर 9 के पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे रास्ते की जमींन को छोडते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार रास्ते का अंकन एवम प्रार्थीगण की आराजी में से अप्रार्थीगण के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में साथ–साथ अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो एवम अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार कटानी रास्ते के उपयोग, उपभोग में किसी भी तरह की दखल, मजाहमत किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करे, पाबंद रहे। राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार दोनों पक्षों के नाम दर्ज हाल रिकॉर्ड में किये जाने उपरांत ही रास्ते के लिए सीमा चिन्ह् कायम कर रास्ता सुपुर्द करे।

03/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, अलवर, राज0

यह निर्णय आज दिनांक **03-03-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायलय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

03/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, अलवर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested